



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 384) पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
24 अप्रील 2026

सं० जी/विविध-20-07/2026/4367—चूँकि राज्यपाल, बिहार को यह समाधान हो गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के SV-10 स्टेशन, ग्राम-पटसामा, थाना-बरियारपुर, अंचल-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार को, इस आधार पर कि उक्त संस्थान से संबंधित सूचना या इसका विनाश या कार्यकलाप में बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु के लिए उपयोगी होगा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

तथा, चूँकि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है;

तथा, चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं०-667 दिनांक-13.02.1968 के माध्यम से बिहार राज्य में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करने की शक्ति बिहार सरकार को प्रत्यायोजित की गई है।

अतएव, बिहार राज्यपाल उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के SV-10 स्टेशन, ग्राम-पटसामा, थाना-बरियारपुर, अंचल-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, जिसका भूमि सम्बन्धी विवरण इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में वर्णित है, को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं।

अनुसूची-I

“प्रतिषिद्ध स्थान” का नाम—इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के SV-10 स्टेशन, ग्राम—पटसामा, थाना—बरियारपुर, अंचल—सकरा, जिला—मुजफ्फरपुर बिहार।

अनुसूची क्रम सं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	ग्राम एवं जिला	मौजा	थाना संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77	119	ग्राम— पटसामा जिला— मुजफ्फरपुर	पटसामा नई	831	42 डी०	पूर्व—मनीष कुमार, विनोद कुमार सिंह चंचल, प्रमोद कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, उमेश सिंह पश्चिम— मनीष कुमार विनोद कुमार सिंह चंचल, प्रमोद कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, उमेश सिंह उत्तर— मनीष कुमार, विनोद कुमार सिंह चंचल, प्रमोद कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, उमेश सिंह दक्षिण—प्रहलाद सिंह, जितेन्द्र सिंह
कुल						42 डी०	

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के. सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

24 अप्रैल 2026

सं० जी/विविध-20-07/2026/4367 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के. सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

24th April 2026

No. जी/विविध-20-07/2026/4367—Whereas, The Governor of Bihar is satisfied that it is necessary and expedient to declare the SV-10 of Indian Oil Corporation Limited, Villag-Patsama, Thana-Bariyarpur, Anchal-Sakra, District-Muzaffarpur, Bihar, to be "Prohibited Place" under the sub-clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act No. 19 of 1923), on the ground that interference with respect thereto, or the distruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

And, wheareas, the power to declare 'Prohibited Place' under sub clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), has been vested with the Government of India.

And, Whereas, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide notification no.-SO- 667, dated-13.02.1968, delegated the powers to declare a "Prohibited Place" under sub clause c & d of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), in the state of Bihar to the State Government.

Now, therefore, in exercise of the abovementioned delegated powers, the Governor of Bihar is pleased to declare the SV-10 of Indian Oil Corporation Limited, Villag-Patsama, Thana-Bariyarpur, Anchal-Sakra, District-Muzaffarpur, Bihar, as **Prohibited Place** under the sub clause (d) of clause (8) of section-2 of Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), with immediate effect, description of which are mentioned in the following Schedule-I.

Schedule-I

Name of the 'Prohibited Place'- SV-10 of Indian Oil Corporation Limited, Villag-Patsama, Thana-Bariyarpur, Anchal-Sakra, District-Muzaffarpur, Bihar.

S.L. No.	Khata No.	Plot No.	Village and District	Mauja	Thana No.	Area (In Acre)	Boundary
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77	119	Vill-Patsama, Dist-Muzaffarpur	Patsama nai	831	42 Dec	East- Manish Kumar, Vinod Kumar Singh Chanchal, Pramod Kumar Singh, Pravin Kumar, Umesh Singh West- Manish Kumar, Vinod Kumar Singh Chanchal, Pramod Kumar Singh, Pravin Kumar, Umesh Singh North- Manish Kumar, Vinod Kumar Singh Chanchal, Pramod Kumar Singh, Pravin Kumar, Umesh Singh South- Prahlad Singh, Jitendra Singh
Total						42 Dec	

By Order of the Governor of Bihar,
K. Suhita Anupam,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+50-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>